राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 2163/2025

शंकर लाल यादव —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्यालय, जयपुर।
3. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, संक्रामक रोग चिकित्सालय, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 03.03.2025
आदेश की दिनांक : 17.03.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानियां, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ रेडियोग्राफर के पद पर संक्रामक रोग चिकित्सालय, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.11.2022 (अनुलग्नक—4) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन वर्तमान पदस्थापन स्थान पर किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 02 के आदेश दिनांक 07.02.2025 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का कार्यसम्पादन हेतु संक्रामक रोग चिकित्सालय, जयपुर से रेडियोडायग्नोसिस विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में लगाया गया तथा अपीलार्थी का वेतन संक्रामक रोग चिकित्साल, जयपुर से यथावत आहरित किया जाता रहेगा। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.02.2025 (अनुलग्नक—2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त भी कर दिया गया है। माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 6170/2022 खेमचंद बनाम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में भी कार्यव्यवस्थार्थ के आधार पर किये गये स्थानान्तरण आदेश पर आदेश दिनांक 01.12.2022 (अनुलग्नक—3) में अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया था, का उद्वरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण भी समान बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.02.2025 एवं

कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 24.02.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को संक्रामक रोग चिकित्सालय, जयपुर में निरन्तर कार्य करने दिया जावे और अपीलार्थी का वेतन भुगतान भी वर्तमान पदस्थापित स्थान से ही आहरित करने के आदेश प्रदान करें।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 02 के आदेश दिनांक 07.02.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का कार्यसम्पादन हेतु संक्रामक रोग चिकित्सालय, जयपुर से रेडियोडायग्नोसिस विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर प्रशासनिक कारणों एवं लोकहित में लगाया गया है। अपीलार्थी का वेतन यथावत संक्रामक रोग चिकित्सालय से आहरित किया जाता रहेगा। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। हमें प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 07.02.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 24.02.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)